



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 85-2022/Ext.]

चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 13 मई, 2022
(वैशाख 23, 1944 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
1.	अधिसूचना संख्या सांका०नि० 91/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 13 मई, 2022 — हरियाणा सामाजिक संरक्षण एवं सुरक्षा विभाग (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	363—364
2.	अधिसूचना संख्या सांका०नि० 92/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 13 मई, 2022 — सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा (ग्रुप-ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	365—366
3.	अधिसूचना संख्या सांका०नि० 93/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 13 मई, 2022 — हरियाणा सामाजिक संरक्षण एवं सुरक्षा विभाग (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	367—368
4.	अधिसूचना संख्या सांका०नि० 94/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 13 मई, 2022 — हरियाणा सामाजिक संरक्षण एवं सुरक्षा विभाग (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	369—370
5.	अधिसूचना संख्या सांका०नि० 95/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 13 मई, 2022 — हरियाणा वित्तायुक्त कार्यालय (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	371—372
6.	अधिसूचना संख्या सांका०नि० 96/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 13 मई, 2022 — हरियाणा वित्तायुक्त कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	373—374
7.	अधिसूचना संख्या सांका०नि० 97/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 13 मई, 2022 — हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022.	375—376
8.	अधिसूचना संख्या सांका०नि० 98/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 13 मई, 2022 — मेवात जिला विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ख) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022.	377—378
9.	अधिसूचना संख्या सांका०नि० 99/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 13 मई, 2022 — हरियाणा विद्यालय शिक्षा राज्य संवर्ग (ग्रुप ग) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022.	379—380

10. अधिसूचना संख्या सांकांनि० 100/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 13 मई, 2022 381—382
— मेवात जिला विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022.
11. अधिसूचना संख्या सांकांनि० 101/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 13 मई, 2022 383—384
— हरियाणा प्राथमिक विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) जिला संवर्ग सेवा (संशोधन) नियम, 2022.
12. अधिसूचना संख्या सांकांनि० 102/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 13 मई, 2022 385—386
— हरियाणा शिक्षा विभाग, उप कार्यालय, लिपिक वर्गीय (ग्रुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.
13. अधिसूचना संख्या सांकांनि० 103/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 13 मई, 2022 387—388
— हरियाणा राज्य सैकेण्डरी शिक्षा विभाग (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.

भाग IV शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं।

भाग-III**हरियाणा सरकार**

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 मई, 2022

संख्या सांका०नि० 91/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सामाजिक संरक्षण एवं सुरक्षा विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा सामाजिक संरक्षण एवं सुरक्षा विभाग (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा सामाजिक संरक्षण एवं सुरक्षा विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998 में, नियम 5 में, "इक्कीस वर्ष" तथा "पैंतीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "अठारह वर्ष" तथा "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

विनीत गर्ग,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

Notification

The 13th May, 2022

No. G.S.R. 91/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Social Defence and Security Department (Group 'A') State Service Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Social Defence and Security Department (Group 'A') State Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Social Defence and Security Department (Group 'A') State Service Rules, 1998, in rule 5, for the words and sign "thirty two" and "forty-five", the words and sign "eighteen" and "forty-two" shall respectively be substituted.

VINEET GARG,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Social Justice and Empowerment Department.

हरियाणा सरकार

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 मई, 2022

संख्या सांका०नि० 92/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा (गुप-ख) सेवा नियम, 2000, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा (गुप-ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा (गुप-ख) सेवा नियम, 2000 में, नियम 5 में, "इक्कीस वर्ष" तथा "चालीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "अठारह वर्ष" तथा "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

विनीत गर्ग,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

Notification

The 13th May, 2022

No. G.S.R. 92/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Social Justice and Empowerment, Haryana (Group-B) Service Rules, 2000, namely:-

1. These rules may be called the Directorate of Social Justice and Empowerment, Haryana (Group-B) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Directorate of Social Justice and Empowerment, Haryana (Group-B) Service Rules, 2000, in rule 5, for the words and sign “twenty-one” and "forty", the words and sign “eighteen” and "forty-two" shall respectively be substituted.

VINEET GARG,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Social Justice and Empowerment Department.

हरियाणा सरकार

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 मई, 2022

संख्या सांका०नि० 93/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सामाजिक संरक्षण एवं सुरक्षा विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा सामाजिक संरक्षण एवं सुरक्षा विभाग (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा सामाजिक संरक्षण एवं सुरक्षा विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 में, नियम 5 में, "17" तथा "35" अंकों के स्थान पर, क्रमशः "अठारह" तथा "बयालीस" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

विनीत गर्ग,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

Notification

The 13th May, 2022

No. G.S.R. 93/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Social Defence and Security Department (Group C) Service Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Social Defence and Security Department (Group C) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Social Defence and Security Department (Group 'C') Service Rules, 1998, in rule 5, for the words and sign “seventeen” and "thirty-five", the words and sign “eighteen” and "forty-two" shall respectively be substituted.

VINEET GARG,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Social Justice and Empowerment Department.

हरियाणा सरकार

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 मई, 2022

संख्या सांका०नि० 94/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सामाजिक संरक्षण एवं सुरक्षा विभाग (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा सामाजिक संरक्षण एवं सुरक्षा विभाग (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा सामाजिक संरक्षण एवं सुरक्षा विभाग (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1998 में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"5 आयु:— सेवा में सीधी भर्ती के लिए आयु ऐसी होगी, जो हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट है।"

विनीत गर्ग,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT****Notification**

The 13th May, 2022

No. G.S.R. 94/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Social Defence and Security Department, Haryana (Group D) Service Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Social Defence and Security Department, Haryana (Group D) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Social Defence and Security Department, Haryana (Group 'D') Service Rules, 1998, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

"5- Age:- The age for direct recruitment to the service shall be such, as specified in section 6 of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018)."

VINEET GARG,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Social Justice and Empowerment Department.